संख्या–1257 / एक–10–2021–33(79) / 2015 टीसी

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 16 जुलाई, 2021

विषयः–जनपद वाराणसी में तैनात आपदा विशेषज्ञ के मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1116 / जि0आ0प्र0प्रा0 / 2020–21, दिनांक 30 जून, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, वाराणसी में **तैनात आपदा विशेषज्ञ के दिनांक 29.01.2021 से 31.05.2021 तक (04 माह 03 दिन) का मानदेय दिये जाने** हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–**2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–07–जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)** में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत **रू0 1,64,000/–(रूपये एक लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि, निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन** जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(2) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 के नियम–209 तथा चैप्टर–1 के संलग्नक–ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण / व्यय किया जायेगा।

(4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–359–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग / समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–यू0ओ0–2 / 1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत / अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे

वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक **31 मार्च, 2022** से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2— उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष **2021—22** के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—**2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—80—सामान्य—800—अन्य व्यय—07—जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या—1257 (1)/एक—10—2021—33(79)/15 टीसी, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार—(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2— अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

4— सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।

6— सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।

7— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—5

8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।